अनिल टुटेजा
सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव,
रायपुर

दिनांक : 22 फरवरी 2024

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

सनम्र निवेदन है कि पिछले वर्ष ई.डी. द्वारा राज्य में 2000 करोड़ से अधिक के कथित शराब घोटाले की जांच कर विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष "प्रासिक्यूशन कम्पलेन" प्रस्तत की गयी थी। राज्य की ए.सी.बी. के ई.डी. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को आधार मात्र बनाकर दिनांक 17 जनवरी 2024 को एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने से प्रकरण फिर से चर्चा में आया है।

2. ई.डी. द्वारा प्रस्तुत "प्रासिक्यूशन कम्पलेन" में मुझे शराब घोटाले का मास्टर माइन्ड बताया गया ह। दुर्भाग्य से ई.डी. द्वारा मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही मेरे विरूद्ध घोटाले का मास्टर माइन्ड होने जैसा अत्यधिक गंभीर आरोप लगाया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार यह मेरा अधिकार है कि मैं कथित शराब घोटाले में मेरे विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करूं। चूंकि आप ब्यूरोकेसी के अभिभावक भी हैं अतः मैं आपके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

3. **शराब घोटाले के संबंध में ईडी. द्वारा की गयी विवेचना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—**

फरवरी 2019 में राज्य में शराब व्यवसाय से अधिक से अधिक अवैध कमीशन वसूलने के लिये एक सिंडीकेट बनाया गया। इस सिंडीकेट का नेतृत्व मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी तथा राज्य के सबसे शक्तिशाली अधिकारी अनिल टुटेजा (आई.ए.एस.) जो उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ थे, कर रहे थे। सिंडीकेट के अन्य सदस्य निरन्जन दास (आई.ए.एस.) सचिवएवं आयुक्त आबकारी विभाग, ए. पी. त्रिपाठी (आई.टी.एस.) प्रबंध संचालक, राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन फील्ड के आबकारी अधिकारी, अनवर ढेबर, विधुगुप्ता (होलोग्राम सप्लायर), सिद्धार्थ सिंघानिया प्लेसमेन्ट कम्पनी के संचालक, विकास अग्रवाल, अरविन्द सिंह तथा देशी शराब बनाने वाले 3 प्रमुख डिस्टलर भाटिया समूह, केडिया समूह तथा जायसवाल समूह थे। मार्च 2019 में अनवर ढेबर के होटल में देशी शराब बनाने वाले तीनों डिस्टलरों नवीन केडिया, राजेन्द्र जायसवाल तथा नवीन केडिया की बैठक हुई जिसमें अनवर ढेबर, ए.पी. त्रिपाठी तथा विकास अग्रवाल भी उपस्थित हुए थे। इसी बैठक में शराब की प्रति पेटी पर निश्चित दर से कमीशन वसूली तथा बिना ड्यूटी पेड शराब के

22/2

मुख्यमंत्री सचिवालय
दिनांक 22/2/24

विक्रय आरंभ करने का निर्णय लिया गया। डिस्टलरों द्वारा यह मांग की गयी कि कमीशन की राशि देने में सहायता के लिये डिस्टलरों को कार्पोरेशन से मिलने वाली दरों में वृद्धि करायी जाये। सिंडीकेट के प्रभाव से 1 अप्रैल 2019 से देशी एवं विदेशी शराब की दरों में वृद्धि कर दी गयी तथाअवैध वसूली आरंभ की गयी।

4. सिंडीकेट द्वारा अप्रैल 2019 से अवैध वसूली आरंभ की गयी। अप्रैल 2019 से जून 2022 के बीच लगभग 2100 करोड़ अवैध कमीशन के रूप में वसूल किये गये। कमीशन वसूली का कार्य 4 प्रकार से किया जाता था :–

1. ड्यूटी पेड शराब की आपूर्ति में 75 से 100 रू. प्रति पेटी की दर से वसूली, जिसे पार्ट "ए" कहा गया।
2. बिनाडयूटी पटायी गयी 40 लाखपेटी शराब का विक्रय, जिसे पार्ट "बी" कहा गया।
3. देशी शराब के 3 डिस्टलरों की देशी शराब के कारोबार में हिस्सेदारी तय करने हेतु लिया जाने वालाकमीशन, जिसे पार्ट "सी" कहा गया।
4. मल्टी नेशनल शराब निर्माता कम्पनियों से उनकी शराब की आपूर्ति में अवैध कमीशन प्राप्त करने हेतु एफ.एल. 10 (ए) नामक नया लायसेन्स लिये जाने का प्रावधान किया गया जिसकी कोई आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं था।

सिंडीकेट के सदस्यों की भूमिका निम्नानुसार थी :–

5. सिंडीकेट के मुखिया होने के नाते अनिल टुटेजा की भूमिका यह थी किवे आबकारी विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण रखते थ। आबकारी विभाग की सभी नीतियों एवं निविदाओं पर भी अनिल टुटेजा का पूर्ण नियंत्रण था। अनवर ढेबर उनका अत्यन्त करीबी व्यक्ति था जो सिंडीकेट का किंग पिन था। उनके निर्देश अनुसार विकास अग्रवाल सभी प्रकार के कमीशन की राशि वसूल करता था। निरन्जन दास एवं ए. पी. त्रिपाठी भी अनिल टुटेजा के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते थे। सिद्धार्थ सिंघानिया को अप्रैल 2019 से राज्य के सभी जिलों में मैनपावर सप्लाई का काम दिया गया। सिद्धार्थ सिंघानिया प्लेसमेंट ऐजेन्सी के संचालक थे। अरविन्द सिंह लाजिस्टिक का कार्य करते थे। विधु गुप्ता नकली होलोग्राम सप्लाई का कार्य करते थे। गोल्डी भाटिया, नवीन केडिया तथा राजेन्द्र जायसवाल देशी शराब के निर्माता थे, वे बिना ड्यूटी पेड शराब का निर्माण करते थे तथा डिस्टलरी एवं जिलों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से शासकीय दुकानों से अवैध शराब का विक्रय करते थे। विधु गुप्ता की कम्पनी को होलोग्राम सप्लाई की निविदा इसी शर्त पर दिलाई गयीकिवह नकली होलोग्राम सप्लाई का कार्य भी करेगा ताकि "बी" पार्ट की शराब का विक्रय किया जा सके। सिंडीकेट में शामिल सभी लोगों को अवैध वसूली में से उनका हिस्सा प्राप्त होताथा। कुल वसूली का बड़ा भाग अनिल टुटेजा के माध्यम से उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को जाता था। देशी शराब बनाने वाले तीनों डिस्टलरों को भी अवैध व्यापार से बड़ी आय हुई क्योंकि बिना ड्यूटी पेड शराब बनाने एवं बेचने से हुई आय में उन्हें आबकारी कर, जी.एस.टी. तथा आयकर भी नहीं देना पड़ा था।

22/2

6. शराब व्यवसाय में 4 साल में हुई कुल वसूली में से 61 करोड़ की राशि अनिल टुटेजा को मिलने का आरोप है। इसमें से 14.41 करोड़ रूपये की राशि अनवर ढेबर के व्यवसाय में शामिल सहयोगी किसी नितेश पुरोहित द्वारा दी गयी तथा शेष 47 करोड़ की राशि अभी भी अनवर ढेबर के पास है। अनिल टुटेजा को 61 करोड़ मिलने का आधार ए.पी. त्रिपाठी एवं अरविन्द सिंह के कथनों को बताया गया है तथा 14.41 करोड़ रूपये मिलने का विशिष्ट डिजिटल साक्ष्य अनवर ढेबर एवं नितेश पुराहित के आपस में मोबाईल फोन चैट को बताया गया है।

7. अवैध शराब घोटाले के संबंध में ई.डी. द्वारा मेरे विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप पूर्वाग्रह एवं कल्पना के आधार पर लगाये गये हैं। बिना किसी ठोस साक्ष्य की उपलब्धता तथा बिना मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिये ही ई.डी. जैसी जिम्मेदार एजेन्सी द्वारा मुझ पर इतने गंभीर आरोप लगाया जाना अनेक सन्देहों को जन्म देता है। ई.डी. द्वारा की गयी विस्तृत विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही ई.डी. की काल्पनिक कहानी के संबंध में मेरा पक्ष निम्नानुसार है :–

(A) आबकारी विभाग को हाईजैक करने, अपनी मर्जी अनुसार विभागीय नीतियां तय कराने तथा अपने अनुसार मनचाहे व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कार्य दिलाने का आरोप पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। श्री कमलप्रीत, आई.ए.एस., आबकारी विभाग के सचिव, आयुक्त तथा मार्केटिंग कार्पोरेशन क एम.डी. के रूप में नवम्बर 2018 से मई 2019 तक पदस्थ रहे। उसके पश्चात निरंजन दास विभाग के सचिव एवं आयुक्त के रूप में मई 2019 से जून 2023 तक पदस्थ रहे।

(B) शराब व्यवसाय से संबंधित सभी विभागीय नीतियां तथा निविदाओं संबंधित कार्य को अन्तिम रूप देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आबकरी सचिव तथा आयुक्त की होती है। मेरे द्वारा कभी भी आबकारी विभाग से संबंधित किसी भी कार्य के लिये श्री कमलप्रीत तथा श्री निरंजन दास से कोई चर्चा नहीं की गयी और न उनके विभाग में कोई दखल अन्दाजी ही की गयी। ई.डी. द्वारा उनके आरोपों की पुष्टि के लिये न तो श्री कमल प्रीत से और न निरंजन दास से ब्यान लिये गये। उन्हें पता था कि यदि इन दोनों अधिकारियों से ब्यान लिये गये तो मेरे विरूद्ध बनायी गयी उनकी पूरी कहानी झूठी सिद्ध हो जायेगी। 01 अप्रैल 2019 से अवैध वसूली का कार्य आरंभ होना बताया गया। जबकि तत्समय पदस्थ आबकारी सचिव एवं आयुक्त श्री कमलप्रीत से शराब की दरों में वृद्धि का औचित्य तथा उसमें मेरी भूमिका के बारे में कोई पूछ–ताछ नहीं की गयी। इस तथ्य को भी ध्यान नहीं रखा गया कि उद्योग विभाग में मेरी पदस्थापना जुलाई 2019 में हुई थी। जबकि उसके पूर्व मुझे कोई कार्य आबंटित नहीं था।

सिंडीकेट के अन्य सदस्यों यथा देशी विदेशी मदिरा के निर्माता एवं सप्लायर, प्लेसमेन्ट एजेन्सी के मालिक सिद्धार्थ सिंघानिया, होलोग्राम सप्लायर श्री विधुगुप्ता, कैश कलेक्शन एजेन्सी के संचालक एफ.एल. 10(A) के लायसेंसी, विकास अग्रवाल, अरविन्द सिंह, नितेश पुरोहित से तथा फील्ड में पदस्थ किसी भी आबकारी अधिकारी से न मैं कभी मिला और न इनसे किसी प्रकार का मेरा प्रत्यक्ष अथवा

Tu- 22/2

अप्रत्यक्ष संवाद था। इनमें से किसी को भी शराब व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार के कार्य दिलाने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ई.डी. द्वारा उक्त सभी व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं। उनमें से किसी ने भी शराब कारोबार में मेरी किसी प्रकार की भूमिका का उल्लेख नहीं किया है। स्पष्ट है आबकारी विभाग को हाईजैक करने अथवा विभागीय गतिविधियां पर मेरे पूर्ण नियन्त्रण का आरोप पूर्णतः मनगढंन्त है।

(C) शराब के अवैध कारोबार से मुझे हिस्सा देने का एक मात्र गवाह नितेश पुरोहित को बताया गया है। शराब व्यवसाय में मुझे 14.41 करोड़ मिलने की आरोप की पुष्टि मे ई.डी. द्वारा कथित पुख्ता साक्ष्य के रूप में अनवर ढेबर एवं नितश पुरोहित के बीच व्हाट्सअप चैट्स के ट्रांसकिप्ट्स को प्रस्तुत किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उसकी प्रति प्रस्तुत है। (संलग्न–1) इस दस्तावेज के अवलोकन से विदित होता है कि अनवर ढेबर तथा नितश पुरोहित के बीच की चैट में "T", तिथियों तथा 0.10, 0.30, 0.25 इत्यादि अंको का उल्लेख है। इसी तरह की चैट्स के आधार मात्र पर अनवर ढेबर के निर्देश पर नितश पुरोहित द्वारा मुझे 14.41 करोड़ दिये जाने का आरोप लगाया गया है। सत्य तो यह है कि मैं नितश पुरोहित का न तो जानता हूँ न उनसे कभी मुलाकात हुई है और न ही उनसे किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संवाद ही था। उनसे मेरे द्वारा कोई राशि लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(D) मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नितेश पुरोहित को ई.डी. अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित कर 20, मार्च 2023 को पूर्व से टाईप किये हुए ब्यान पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया था। बाद में मेरे एक परिचित अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि नितश पुरोहित द्वारा विशेष न्यायालय रायपुर में दो आवेदन प्रस्तुत कर उनमें यह उल्लेख किया है कि :

"29 मार्च एवं 30 मार्च 2023 को ई.डी. अधिकारियों द्वारा उसे हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया तथा निरन्तर 48 घंटो तक प्रताड़ित कर कुछ पन्नों पर जबर्दस्ती हस्ताक्षर कराये गये। उसके द्वारा यह भी उल्लेख है कि वह अनिल टुटेजा को नहीं जानता है, न कभी उनसे मिला है तथा अनिल टुटेजा को करोड़ों रूपये दिये जाने का आरोप भी झूठा है। नितश पुरोहित द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दोनों आवेदनों की छायाप्रति प्रस्तुत है। (संलग्न–2)

किन्ही दो व्यक्तियों की आपसी संदिग्ध एवं अपुष्ट चैट के आधार मात्र पर मुझे करोड़ों रूपये मिलने का आरोप किसी भी दशा में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(E) अनवर ढेबर कांग्रेस नेता हैं तथा मेरे एवं ए.पी. त्रिपाठी के पुराने परिचित हैं। वर्ष 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे देशी एवं विदेशी शराब के व्यवसाय में कुछ हिस्सा लेना चाहते थे। जिसके लिये उन्होंने मुझसे तथा ए.पी. त्रिपाठी से मदद मांगी थी। मैने उनको शराब कारोबार में वर्ष 2019 में कुछ कार्य दिलाने हेतु प्रयास भी किया था किन्तु उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वर्ष

2019 के बाद शराब व्यवसाय के संबंध में उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई और न ई. डी. द्वारा उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ उनकी कोई व्यवसायिक भागीदारी नहीं है और न कोई आर्थिक संव्यवहार है। अनवर ढेबर ने भी ई.डी. के समक्ष हुए उनके ब्यान में इस तथ्य की पुष्टि की है।

(F) शराब व्यवसायियों एवं आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हुए शराब घोटाले की जांच कर विभागीय अधिकारियों एवं डिस्टलरों को दंडित करने की शिकायत की जांच आबकारी विभाग द्वारा की गयी है। विस्तृत जांच उपरान्त आबकारी विभाग इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि राज्य में शराब घोटाला होने एवं शासन को सैंकड़ों करोड़ की क्षति होने तथा उसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका होने की शिकायत निराधार पायी गयी है। मेरे द्वारा मुख्य सचिव को दिये गये अभ्यावेदन में "विभागीय जांच" रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा चुकी है। विभागीय जांच के दौरान सभी आबकारी अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ई.डी. कार्यालय में उन्हें प्रताड़ित किया जाकर पूर्व से टाइप किये गये बयानों पर हस्ताक्षर कराये गये थे जबकि उनके कार्यकाल में उनके जिले में अवैध शराब का विकय नहों किया है।

(G) ए.सी.बी. की ओर से मेरे विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति एवं उसके साथ ई.डी. के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2023 की प्रति भी सार्वजनिक की गयी है। ए.सी.बी. द्वारा ई.डी. के प्रतिवेदन दिनांक 11.07.2023 को आधार मात्र बनाकरएफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की गयी है। ई.डी. के 11 जुलाई 2023 के प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.बी. द्वारा मेरे विरूद्ध शासन से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) अन्तर्गत विधिवत अनुमति लेकर जांच आरंभ की गयी थी "शिकायत कमांक 45/2023"ए.सी.बी. कार्यालय से मुझे जांच में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.08.2023 को जो समंस जारी किया था इसी में ई.डी. प्रतिवेदन का उल्लेख है। ए.सी.बी. से प्राप्त समंस की प्रति प्रस्तुत है। (संलग्न–3)

(H) मेरे द्वारा "शिकायत जांच प्रकरण" के जांच अधिकारी श्री फरहान कुरैशी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही मेरे द्वारा मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा धारित समस्त संपत्तियों एवं उनके अर्जन के वैध स्त्रोंतों संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। पत्र की प्रति प्रस्तुत है। (संलग्न–4) श्री फरहान कुरैशी द्वारा पुनः समंस जारी कर 28 नवम्बर 2023 को अग्रिम पूछताछ हतु ए.सी.बी. कार्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया था । मेरे ए. सी.बी. कार्यालय पहुंचने पर मुझसे कुछ शेष अन्य बिन्दुओं पर पूछताछ की गयी। श्री फरहान कुरैशी द्वारा यह बताया गया था कि शिकायत जांच प्रकरण में सभी गवाहों के कथन अंकित किये जा चुके हैं तथा जांच पूर्ण करने की अन्तिम कार्यवाही की जा रही है।

(I) यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि ए.सी.बी. द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में तथा पूर्व में दर्ज शिकायत जांच करने वाले अधिकारी श्री फरहान कुरैशी ही हैं। पूर्व में समान

प्रकरण की प्रारंभिक जांच की कार्यवाही करने के बाद उसे पूरी तरह गायब कर एफ.आई.दर्ज करना विधि विरूद्ध है।

(J) नितेश पुरोहित केन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन तथा आबकारी विभाग द्वारा की गयी विभागीय जांच में आबकारी अधिकारियों द्वारा किये गये कथनों में ई.डी. अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित कर मनचाहे एवं पूर्व से टाइप किये हुए कथनों पर जबर्दस्ती हस्ताक्षर करने के लिये विवश करने का तथ्य सामने आया है। कुछ अन्य गवाहों जिनमें ए.पी. त्रिपाठी तथा अरविन्द सिंह भी शामिल है, द्वारा भी ई.डी. अधिकारियों की प्रताड़ना की शिकायतें करने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। ई.डी. द्वारा मेरे विरूद्ध शराब घोटाले का मास्टर माइन्ड होने का जो आरोप लगाया है उसके कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वास्तव में कुछ गवाहों से जबर्दस्ती कर झूठी गवाही लेने मात्र के आधार पर शराब घोटाले में मेरी प्रमुख भूमिका होने का आरोप लगाया गया है।

(K) ई.डी. जांच के विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 के बीच पूछताछ हेतु मुझे 6 समंस जारी किये गये थे। ई.डी. द्वारा की गयी जांच विधि अनुरूप न होने के कारण मेरे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी जिसमें दिनांक 28 अप्रैल 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध **No Coercive Action**का आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में जांच जारी रहेगी तथा मै जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा।

(L) हैरानी की बात यह है कि 28 अप्रैल 2022 के बाद ई.डी. द्वारा मुझे अपना पक्ष रखने हेतु कोई समंस जारी नहीं किया गया तथा बिना मुझे सुने ही मुझे शराब घोटाले का मास्टर माइंड बता दिया गया। ऐसी जांच की विश्वसनीयता संदिग्ध होना स्वाभाविक ही है।

(M) मुझे समंस न करते हुए विवेचना अधिकारी द्वारा मेरी पत्नि एवं पुत्र को अनेक बार समंस कर उनके द्वारा धारित संपत्ति के वैध स्त्रोतों की जानकारी ली गयी। मेरी पत्नी ने 27 वर्ष पूर्व ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय आरंभ किया था वर्ष 2009 में मेरा पुत्र भी ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय में शामिल हुआ। उन्होने कड़ी मेहनत कर वर्ष 2013 तक रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई में 5 पार्लर आरंभ कर लिये थे। व्यूटी पार्लर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आज भी उनकी विशिष्ट पहचान है। प्रतिवर्ष उनके द्वारा जी. एस.टी. एवं आय कर के रूप में लगभग 2.50 से 3 करोड़ रूपये जमा किये जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य जनक है कि नितेश पुरोहित द्वारा कथित रूप से मुझे 14.41 करोड़ रूपये दिये जाने के झूठे एवं सतही आधार मात्र पर मेरे परिवार जनों द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित लगभग 15 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली गयी।

(N) ई.डी. द्वारा मुझे राज्य का सबसे शक्तिशाली एवं मुख्यमंत्री का नजदीकी अधिकारी बताया गया है। यह आरोप भी कल्पना मात्र पर आधारित है। ई.डी. द्वारा इस आरोप की पुष्टि के लिये किसी भी वरिष्ठ आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. का ब्यान तक नहीं लिया गया है। आई.ए.एस. में पदोन्नति उपरान्त मुझे 2003 का कैडर

मिला था। मैं 31 मई 2023 को संयुक्त सचिव के पद से ही सेवा निवृत्त हो गया जबकि मुझसे 5 साल जूनियर अधिकारी भी सचिव बन चुके थे। 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे आज दिनांक तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है और न ही सामान्य भविष्य निधि की राशि प्राप्त हुई है। मैं सेवानिवृत्त होने वाला संभवतः एक मात्र अधिकारी हूँ जिसे संविदा नियुक्ति भी नहीं दी गयी ।इन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मुझ पर सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी होने तथा पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी होने के आरोप निराधार ह।

(O) मेरे माध्यम से 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बडो राशि राजनीतिज्ञों को पहुंचाये जाने का आरोप अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना है। ई.डी. द्वारा बिना किसी साक्ष्य के इस तरह का आरोप लगाना उनके द्वारा की गयी जांच की विश्वसनीयता समाप्त कर देती है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुझ पर शराब घोटाले का मास्टर माईन्ड होने, पद का दुरूपयोग करने तथा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप पूर्णतः मनगढंत तथा निराधार है। विनम्र प्रार्थना है कि ए.सी.बी. द्वारा मेरे विरूद्ध की जा रही जांच पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा मुझे पेंशन स्वीकृति तथा जी.पी.एफ. भुगतान हेतु संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्देश जारी करने की कृपा करें।

सादर

(अनिल टुटेजा) 22/3/2024

मान. श्री विष्णुदेव साय,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
रायपुर

संलग्न-1

III. ED has found strong documentary evidence of the fact that a significant portion of the Proceeds of Crime acquired by the syndicate through collection of illegal commission in sale of liquor and from the proceeds of the illegal sale of Part-B liquor, was kept by Mr Anil Tuteja. Investigation conducted has established that Anwar Dhebar was collecting Mr Anil Tuteja's share in Part-B liquor sales. Further there are specific digital evidence that Mr Anil Tuteja had received the commission/ bribe amount Rs. 14.41 crore through Anwar Dhebar via Nitesh Purohit during 28.07.2019 to 20.12.2019. Such WhatsApp chats between Mr Anwar Dhebar and Mr Nitesh Purohit regarding payment to Mr Anil Tuteja are reproduced herein below –

Image 32 : Message shared by Anwar Dhebar depicting the various payments made through Mr Nitesh Purohit @ Appu.

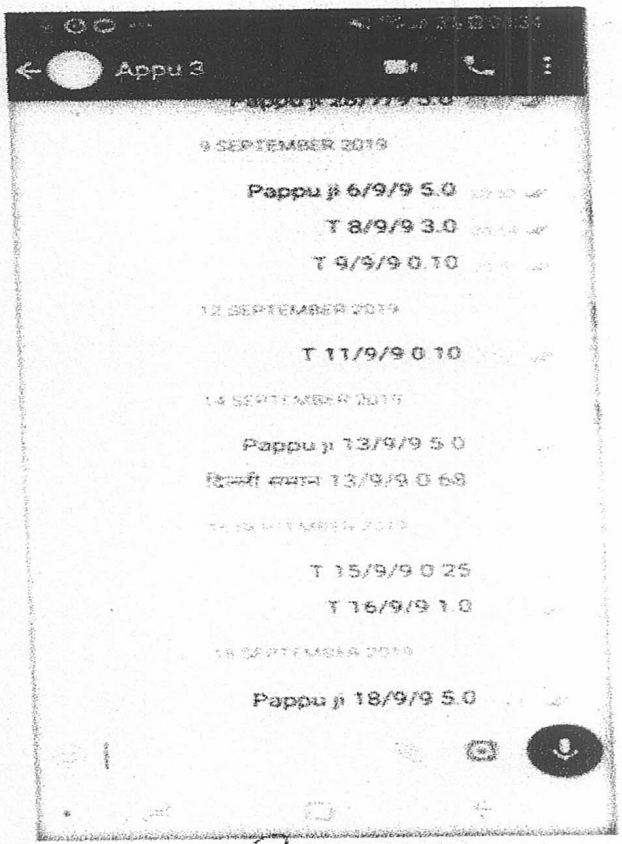

एक्सी सी०ए०नं० 5171/23 / 5232/23 सत्यप्रतिलिपि प्रकरण क्रमांक <u>अपंजीकृत / 2023</u>
पेशी दिनांक-- 19.05.2023

न्यायालय-- श्रीमान् अजय सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश(धन --शोधक नि.अधि.) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर छ०ग०

पक्षकार-- Assistant director, directorate of enforcement, raipur Zonal office, raipur c.g. बनाम Anwar dhebar son of Haji Zikkarbhai dhebar , dhebar house pensionbada raipur c.g. 2. Nitesh purohit, son of bhanu shankar D purohit giriraj hotel raipur c.g. 3. Trilok singh Dhillon son of late sardar surta singh dhillon block 12 B plot nao 123, Nehru nagar East bhilai durg, chhatisgarh 4. Arunpati tripathi son of late prakash pati Tripathi Residence house no. 1-A street SPA, Sector 9 bhilai durg chhattisgarh

पी.एम.एल.ए. रायपुर, जिला -- रायपुर (छ.ग.)

संलग्न-2

प्रवर्तन निदेशालय ....अभियोगी

विरूद्ध

अनवर ढेबर व अन्य ....आवेदकगण/अभियुक्तगण

नितेश पुरोहित ....आवेदक/अभियुक्त

ECIR/RPZO/11/2022 पेशी दिनांक :-- 15.05.2023

आवेदन पत्र वास्ते कस्टोडियल रिमांड बढ़ाये जाने पर आपत्ति बाबत्।

आवेदक/अभियुक्त नितेश पुरोहित की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना प्रस्तुत है :--

01. यह कि, आवेदक/अभियुक्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनाँक 10.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आवेदक का 14 दिनों का कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा मांग की गई कस्टोडियल रिमांड को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 15.05.2023 तक अर्थात 5 दिनों का कस्टोडियल रिमांड प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था।

02. यह कि, आवेदक की कथित शराब घोटाले मे किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है। आवेदक का पूर्व में कोई भी आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक पर कथित शराब घोटाले में एकत्र अवैध राशि गिरिराज होटल में एकत्र होने एवं उसके वहां से वितरण के आरोप बेबुनियाद है।

03. यह कि, फरवरी 2020 मे आवेदक के निवास अथवा आयकर विभाग की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही आवेदक से मोबाईल फोन जप्त किया गया था। ई.डी. द्वारा दिनांक 10.05.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 167 दण्ड प्रकिया संहिता के साथ संलग्न कथित व्हाट्सअप चैट्स आवेदक द्वारा कभी अन्य आरोपी अनवर ढेबर को भेजा (फारवर्ड) नहीं किये गये थे। उनका आवेदक से कोई संबंध नहीं है। ई.डी. अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय से जानबूझकर यह तथ्य छुपाया गया है।

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY

संलग्न-2

04. यह कि, अनिल टुटेजा एवं पप्पू बंसल को आवेदक द्वारा करोड़ो की राशि वितरित करने का आरोप भी झूठा षडयंत्र पर आधारित है। आवेदक उक्त दोनो व्यक्तियों से न कभी मिला है, न कोई जान पहचान है। और न ही किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क अथवा संबंध है। न ही उक्त मैसेज आवेदक ने किसी को भेजा (फारवर्ड) किया है।

05. यह कि, ई.डी. द्वारा संलग्न एक अन्य चैट मे किसी गाड़ी अथवा एक पेज की संख्या का उल्लेख है। यह भी चैट आवेदक से संबंधित नही है और न ही आवेदक उसे किसी को भेजा (फारवर्ड) किया है।

06. (i) यह कि, ई.डी अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2023 को आवेदक के परिसर मे छापा मारा गया था। वहां से कोई अवैध राशि अथवा कोई दस्तावेज बरामद नहीं किया गया जिससे आवेदक का शराब के कारोबार से कोई संबंध प्रमाणित हो। ई.डी. का आरोप सिर्फ कल्पना पर आधारित मात्र है।

(ii) दिनांक 29.03.2023 की सुबह से दिनांक 30.03.2023 की सुबह तक ई.डी. अधिकारी द्वारा आवेदक के परिसर में रहे तथा 30.03.2023 को सुबह आवेदक को समय देकर सी.आर.पी.एफ. अधिकारियों की अभिरक्षा मे जबरदस्ती ई.डी. आफिस लेकर गयें। जहां आवेदक को दिनांक 31.03.2023 को सुबह छोड़ा गया। 48 घंटे की निरंतर प्रताड़ना से आवेदक का स्वास्थ खराब होने लगा था। दिनांक 31.03.2023 को उक्त ई. डी. अधिकारियों द्वारा आवेदक से कुछ पन्नों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये गये जिसके विवरण के बारे मे आवेदक को कोई जानकारी नहीं है।

07. यह कि, अन्य आरोपी अनवर ढेबर और विकास अग्रवाल के जिस कथित चैट का उल्लेख किया गया है, उसका भी आवेदक से कोई संबंध नहीं है। विकास अग्रवाल द्वारा दिनांक 23.02.2020 को 20 लाख दिये जाने का आरोप मिथ्या है। ई.डी. के आवेदन मे उल्लेखित आवेदक का मोबाईल नंबर का उपयोग गुम होने के कारण 2018 से आवेदक ने बंद कर दिया था।

08. यह कि, अप्रैल 2019 मे होटल गिरिराज से 1 करोड़ रूपये की जप्ती का आरोप पूरी तरह झूठा है। 29 मार्च 2023 के पूर्व किसी भी ऐजेंसी द्वारा आवेदक के होटल मे छापा नहीं मारा गया और न ही कोई राशि बरामद हुई है। ई.डी. के अधिकारियों के विरूद्व मिथ्या कथन करने के कारण कार्यवाही किया जाना चाहिये।

09. यह कि, आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त कथित आरोपों की पुष्टि के लिये कभी भी आवेदक को कथन अभिलिखित करने के लिये न तो आहूत किया गया और न ही आवेदक से लिखित रूप आवेदक कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। चूंकि आवेदक का कथित शराब घोटाले से कोई संबंध नही है और न ही आवेदक अवैध राशि में से

कोई राशि प्राप्त हुई हैं जिससे आवेदक के विरूद्व मनी लाड्रिंग के अपराध का प्रकरण बनाने का कोई आधार नहीं है।

संलग्न-2

10. यह कि, आवेदक विगत लगभग 30 वर्षो से भी अधिक अवधि से निरंतर मनोरोग चिकित्सक से इलाज करा रहा है। आवेदक को पूर्व में दो बार, लंबी अवधि तक अस्पताल मे भर्ती रहना पड़ा और कई बार "इलेक्ट्रिक शाक" भी लगाये गये। जिसके प्रमाण के तौर पर आवेदक अपना चिकित्सा से संबंधित सभी दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष संलग्न किया है। ई.डी. कार्यालय मे अभी भी आवेदक से झूठे आरोप स्वीकार करने के लिये दबाव बनाया जा रहा है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को मौन रहने के अधिकार की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदक द्वारा मिलने आये अधिवक्ता महोदय को दी जा चुकी है। आवेदक की तबियत अभी भी खराब है। क्योंकि आवेदक को मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रताडित किया जा रहा है। यदि आवेदक का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ई.डी. अधिकारियों की होगी।

11. यह कि, दण्ड प्रकिया के प्रावधानो आवेदक "मानसिक रोगियो" के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मात्र को अधिकृत किया गया है। विनम्र अनुरोध है कि आवेदक को अपने मानसिक स्वास्थ्य की विस्तृत जांच हेतु मनोरोग विशेषज्ञो के माध्यम से मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

12. यह कि, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा आवेदक को अपने कार्यालय में ले जाया गया है तथा आवेदक का बयान दर्ज करने के पश्चात आवेदक को दिनांक 10.05.2023 को कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया गया है तथा आवेदक का कस्टोडियल रिमांड दिनांक 10.05.2023 से दिनांक 15.05.2023 अर्थात कुल 05 दिवस का कस्टोडियल रिमांड प्राप्त कर आवेदक से पूछताछ कर आवेदक के कथन दर्ज किये जा चूके है तथा आवेदक से और पूछताछ करना व साक्ष्य एकत्रित करना शेष नहीं बचा है। आवेदक निरंतर बीमार रहता है तथा उसका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहता है तथा नियमित रूप से दवाईयों का सेवन करता है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मांग की जा रही कस्टोडियल रिमांड को निरस्त करते हुये आवेदक को अपनी अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश देने की कृपा करें।

रायपुर छ.ग.

दिनांक :– 15.05.2023

आवेदक/अभियुक्त

सत्य-प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

संलग्न-2

प्रति,

श्रीमान अजय सिंह राजपूत

विशेष न्यायाधीश, प्रवर्तन निदेशालय,

जिला न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय– **ई.डी. अधिकारियो के द्वारा मेरी होॅटल गिरीराज में घुसकर मेरे साथ मानसिक प्रताइना करते हुए झूठा कथन करने हेतु दबाव बनाए जाने, बिना पढ़े कई दस्तावेजो पर मेरे हस्ताक्षर कराए जाने एवं मुझे मॉ–बहन की अश्लिल गालियां देते हुए मेरे साथ मारपीट करने की शिकायत बाबत्।**

महोदय,

मैं नितेश पुरोहित, पिता–स्व. भानु शंकर पुरोहित, उम्र 50 वर्ष, पता– बी01, मुक्ता सदन, गोयल नर्सिंग होम के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) सविनय निवेदन है कि दिनांक 29.03.2023 को प्रातः लगभग 5:30 बजे 14–15 ई.डी. के अधिकारी मेरे होॅटल गिरीराज, जेल रोड रायपुर में घुस गए। मैं अपनी होॅटल के रूम कमांक 120 मे तबियत खराब होने के कारण आराम कर रहा था, अधिकारियों द्वारा जोर–जोर से मेरे कमरे का दरवाजा पिटा जाने लगा तथा मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गए तत्पश्चात् समस्त अधिकारियों द्वारा मुझे घेर लिया गया और मेरे साथ अभद् व्यवहार किया जाने लगा। मेरे द्वारा अधिकारियों को बताया गया कि एक बिमार व्यक्ति हूं तथा रक्त चाप, मधुमेह जैसी बिमारियो के आलावा घातक बिमारी किजोफेनिया पैरोनॉईड से 20 वर्षो से ग्रसित हूं तथा चिजो को सोचने समझने मे मुझे अन्य व्यक्तियों की तुलना मे अत्यधिक समय लगता है परन्तु अधिकारियो द्वारा मेरी उक्त बात पर ध्यान ना देते हुए एक अधिकारी द्वारा मुझे मेरी कनपट्टी पर जोर से झापड़ मारते हुए कहा कि मादरचोद थोड़ी देर मे तेरी सब बिमारी ठीक कर देंगे। उक्त बात पर मेरे द्वारा आपत्ती की गई और अधिकारियों से आग्रह किया गया कि मेरी तबीयत ठीक नही है और मेरी शुगर बढ़ी हुई है जिससे मुझे चक्कर आ रहे है तब ई.डी के एक अधिकारी द्वारा मुझे कहा गया कि तेरा खड़ा होता है कि नही अगर नही होता है तो मेरे से (अधिकारी से) दवा ले लेना तो तुम्हारा खड़ा होने लगेगा। कुछ देर पश्चात् एक ई.डी. के अधिकारी द्वारा मुझे

तो मेरे से (अधिकारी से) दवा ले लेना तो तुम्हारा खड़ा होने लगेगा। कुछ देर पश्चात् एक ई.डी. के अधिकारी द्वारा मुझे कहा गया कि तुम तो हॉटल के मालिक हो तथा तुम्हारी पहचान होगी इसलिए तुम हम अधिकारियो के लिए कुछ लड़किया बुलवा लो जिन्हे हम रात भर पेलेंगे फिर सुबह तुम्हे और उन लड़कियो को छोड़ देंगे।

महोदय, अधिकारियो द्वारा काफी देर अभद्र बात-चीत करने के पश्चात् मुझसे पूछा जाने लगा कि तुम अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, बंसल, भाटिया, त्रिपाठी, सुब्बू, फतेहपुरिया तथा इत्यादि व्यक्तियो के नाम लेकर को कैसे जानते, मेरे द्वारा अधिकारियो को कहा गया कि मैं उनके द्वारा नाम लिए जा रहे व्यक्तियो को नही जानता तथा मेरे इंकार करने के बाद अधिकारी द्वारा मेरे साथ गाली-गलौज की जाती थी। ई.डी. के अधिकारी मेरे हॉटल में 30.03.2023 के सुबह 11:00 बजे तक थे तथा अधिकारियो द्वारा मुझे ना तो सोने नही दिया जाता था और जब मुझे निंद आती थी तब मुझे झापड़ मारकर जगा दिया जाता था। ई.डी. के अधिकारियो को इस बात की जानकारी थी कि मुझे उच्च मधुमेह है उसके बाद भी मुझे कुछ खाने नही दिया गया। दिनांक 30.03.2023 के सुबह 11:00 बजे अधिकारियो द्वारा मुझे अपने साथ ई.डी. के कार्यालय ले जाया गया जहां उनके द्वारा पुनः मुझे जेल भेजने की धमकी देते हुए डराया जाने लगा तथा मुझे एक जगह बैठा दिया गया जिसके पश्चात् कुछ घण्टो में ई.डी. के अलग-अलग अधिकारी मेरे पास आते और मुझे मेरे बेटे के भविष्य को बचाने की सलाह देते हुए अपने अनुसार असत्य बयान देने हेतु दबाव बनाया जाता जब मेरे द्वारा उनकी उक्त बात पर इंकार किया जाता तब मेरे साथ गाली गलौच कर मेरी बिमारी को लेकर अभद्र टिप्पणीया की जाती थी।

महोदय, आज दिनांक 31.03.2023 को सुबह लगभग 1-2 बजे ई.डी. के अधिकारियो द्वारा बहुत से टाईप किए हुए दस्तावेजो और कोरे कागजो मे मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया और मैने जब यह कहा कि इसमे क्या लिखा है मुझे पढ़ने दे या पढ़ कर सुना दे तो मेरे हाथो की उंगलियो मे पेन को फंसा कर मोड़ने लगे जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ जिसके पश्चात् अधिकारियो द्वारा मुझे यह भी धमकी दी गई की अगर मैं उनका कहना नही मानूंगा तो मेरे बेटे को भी ऐसा ही प्रताड़ित करेंगे और मेरे बेटे और मेरे विरूद्ध ऐसा

संलग्न-2

आ पाएंगे और मेरी हॉट्ल मे भी ताला लग जायेगा तब मैंने मजबूर होके ई.डी. के अधिकारियो के कहे अनुसार उन टाईप किए हुए दस्तावेजो एवं कोरे कागजो मे हस्ताक्षर कर दिए।

महोदय, ई.डी. के अधिकारियो द्वारा मुझे दिनांक 29.03.2023 प्रातः 5:30 बजे से लेकर आज दिनांक 31.03.2023 के प्रातः 3:30–4:00 बजे तक गैर कानूनी हिरासत मे रखा गया तथा मुझे मानसिक एवं शारिरिक रुप से प्रताड़ित किया गया और मुझसे अनेक टाईपशुदा दस्तावेजो मे मेरी मर्जी के विरुद्ध मुझपर दबाव बनाते हुए मेरा हस्ताक्षर कराया गया। ई.डी. के जो अधिकारी आए थे उनमे से एक का नाम श्री नागेश था बाकी को मैं देख कर पहचान सकता हूं। मेरे साथ हुई उक्त घटना के संबंध मे मैं माननीय महोदय को इस पत्र के माध्यम से अवगत करा रहा हू।

अतः माननीय महोदय निवेदन है कि मेरे साथ हुए उक्त कु–कृत्य को संज्ञान मे लेकर उचित कार्यवाही करते हुए मुझे न्याय दिलाए जाने की कृपा करें।

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 31.03.2023

आवेदक
नितेश पुरोहित,

पिता–स्व. भानु शंकर पुरोहित
पता– बी01, मुक्ता सदन, गोयल नर्सिंग होम के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

संलग्न दस्तावेजः–

1) स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज

संलग्न - 2

EC284779861IN IVR:6967[illegible]

SP RAIPUR HO <492001>

Counter No:4,31/03/202[illegible]

To:SANCHALAK ,PRAVARTA[illegible]

India Post

PIN:110011, Nirman Bhawan SO

From:NITESH PUROHIT ,RAIPUR

Wt:25gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

संलग्न-3

कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छत्तीसगढ़

जय जवान पेट्रोल पंप के सामने, तेलीबांधा रोड रायपुर (छ.ग.)

---0---

कमांक / ब्यूरो / मुख्या. / राय / M-6516 / 2023 रायपुर, दिनांक :– 10.08.2023

प्रति,

श्री अनिल दुटेजा
फरिश्ता अस्पताल के पास,
कटोरा तालाब रायपुर

विषय :– कथन हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में।

संदर्भ :– ब्यूरो में पंजीबद्ध शिकायत कमांक 45 / 2023

---0---

संदर्भित शिकायत के संबंध में कृपया अवगत होने की छ.ग. शासन की आबकारी नीति के तहत् राज्य में मदिरा सप्लाई में की गई गड़बड़ी को लेकर एवं अवैधानिक देशी मदिरा की सप्लाई आदि में किये गये भ्रष्टाचार के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ई.सी.आई.आर कमांक 11 / 2022 पंजीबद्ध कर पी.एम.एल.ए. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर अपने जांच निष्कर्ष के आधार पर भ्र.नि.अधि. के तहत् आवश्यक कार्यवाही हेतु ब्यूरो को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें आपके विरूद्ध भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

अतः प्रकरण में आवश्यक पूछताछ हेतु आपके द्वारा जमा की गयी आयकर विवरणी, अचल संपत्ति विवरण तथा आपके परिवार के सदस्यों के आय से संबंधित एवं उनके द्वारा भरे गये आयकर विवरण एवं अर्जित चल–अचल संपत्ति की जानकारी के साथ दिनांक 14.08.2023 को 11:00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(फरहान कुरैशी)
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
छत्तीसगढ, रायपुर

संलग्न-3

कार्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छत्तीसगढ़

जय जवान पेट्रोल पंप के सामने, तेलीबांधा रोड रायपुर (छ.ग.)

—0—

कमांक / ब्यूरो / मुख्या. / राय / M-9134 / 2023 रायपुर, दिनांक :— 14.11.2023

प्रति,

श्री अनिल टुटेजा
फरिश्ता अस्पताल के पास,
कटोरा तालाब रायपुर

विषय :— कथन हेतु ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में।

संदर्भ :— ब्यूरो में पंजीबद्ध शिकायत कमांक 45 / 2023

—0—

संदर्भित शिकायत के संबंध में किन्हीं बिन्दुओं पर आपसे पूछताछ किया जाना आवश्यकता है।

अतः आवश्यक पूछताछ हेतु दिनांक 28.11.2023 को 11:00 बजे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने का कष्ट करें।

(फरहान कुरैशी)
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
छत्तीसगढ, रायपुर

संलग्न-4

Date 14-08-2023

To,

Shri Farhan Quraishi, DSP

State Economic Offence Investigation Bureau

RAIPUR (C.G.) 492001

Ref: Your Notice issued on 10/08/2023

Respected Sir,

With response to your notice issued on 10/08/2023, I am hereby providing following documents of my Family members, my family member's business and myself:-

1. Detail statement of Property and copy of registry along with source;

2. Yash Tuteja (Son)
   a. Last 5 years Income Tax Return;
   b. Last five years Bank statements;

3. Smt. Minakshi Tuteja (Wife)
   a. Last 5 years Income Tax Return;
   b. Last five years Bank statements;

4. Anil Tuteja (Self)
   a. Last 5 years Income Tax Return;
   b. Last five years Bank statements;

5. Meenakshi Beauty and Academy Pvt Ltd
   a. Last 5 years Income Tax Return;
   b. Last five years Bank statements;
   c. Last Five years Audit Report.

6. Chhattisgarh Modern Studies Pvt Ltd
   a. Last 5 years Income Tax Return;
   b. Last five years Bank statements;
   c. Last Five years Audit Report.

Kindly acknowledge the same and oblige.

Thanking You

Yours Truly

14/8/23

Anil Tuteja

Received.

14/8/2023